# हिमाचल प्रदेश सरकार
## आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ - राजस्व विभाग

No. Rev (DMC)(F)4-2/2000/SEC dated: 29 अप्रैल, 2020

## आदेश

जबकि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि नोवेल कोरोना वायरस रोग (NOVEL CORONA VIRUS DISEASE) (COVID-19) – जो कि एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, (विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा महामारी घोषित है) को एक अधिसूचित आपदा के रूप में चिन्हित किया जाए तथा पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में इसके तीव्र गति से फैलने से उत्पन्न होने वाली भय प्रद स्थिति, जिसने सभी नागरिकों के जीवन को खतरे में डाला है और इससे निपटने और कम करने के दृष्टिगत, यह उचित है कि निवारक उपाय (Preventive Measures) अपनाए जाएँ;

और जबकि यह एक स्थापित तथ्य है कि COVID-19 किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें यह वायरस होता है, के संपर्क में आने से फैलता है (जो लक्षणों के साथ या लक्षण रहित है) और इसलिए इस घातक बीमारी के प्रसार की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय है सामाजिक / सामुदायिक संपर्क वक्रीकरण (Curtailment of Social/Community Contacts) और ऐसे व्यक्तियों का संगरोध (Quarantine) करना जिनका संपर्क और यात्रा इतिहास आसानी से स्थापित नहीं है;

और जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश के भीतर अपने घरों में लौटने के लिए अनुमति दे दी है, और बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश लौट आए हैं या भविष्य में लौटेंगे और राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में अपने घरों में चले जाएंगे;

और जबकि, COVID-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, घरेलू / संस्थागत संगरोध (Home/Institutional Quarantine) और निगरानी के तहत अलक्षणी (Asymptomatic) व्यक्तियों को रखना और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रोटोकॉल (Standard Operating Procedure) के अनुसार परीक्षण और उपचार के लिए लक्षणात्मक (symptomatic) व्यक्तियों को अलग (segregate) और प्रथक (isolate) करना आवश्यक है;

और जबकि, COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के बाहर से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के अंत: प्रवेश (Influx) को संभालना आवश्यक है और निगरानी और सख्त घर / संस्थागत संगरोध (Home/Institutional Quarantine) के माध्यम से निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता है;

और जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 (एच) के अंतर्गत गठित राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee) को किसी भी भय प्रद आपदा स्थिति या आपदा कि स्थिति को निपटने के लिए राज्य सरकार के किसी भी विभाग

या राज्य में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय को कार्रवाई करने के निर्देश देने का अधिकार है;

अत:, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उक्त प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जिला दंडाधिकारी, शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुखों / सभी पार्षदों, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों / वार्ड सदस्यों को स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करती है: -

1. जिला दंडाधिकारी Himachal Pradesh Epidemic Disease (COVID-19) (संशोधन) विनियम (Regulation), 2020 के तहत निहित शक्ति के प्रयोग करके सभी शहरी विकास निकायों के मुखियाओं, शहरी विकास निकायों के पार्षदों, सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सभी ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों को विनियम के तहत निगरानी कर्मी (Surveillance Personnel) के रूप में घोषणा करेंगे। ।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत / शहरी स्थानीय निकाय में लोगों की वापसी की सुविधा के लिए एक पंजीकरण सुविधा होगी। राज्य में लौटे ऐसे लोगों के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार तुरंत उनके आगमन पर संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी विकास निकाय में ,पंजीकरण करेंगे। शहरी विकास निकायों के मुखिया / प्रधान ग्राम पंचायत किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त करने पर ऐसे नामों को स्वप्रेरणा (suo-moto) भी दर्ज कर सकते हैं। आगमन पर पंजीकृत होना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन विनियमन (Regulation) के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

3. ग्राम पंचायत सचिव या पंचायत सहायक ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत करने के लिए नोडल अधिकारी होगा। उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) संबंधित शहरी विकास निकाय के मुखिया के साथ परामर्श के उपरांत शहरी वार्ड के लिए एक नोडल अधिकारी या एक से ज्यादा वार्डों के समूह (Cluster) के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान करेगा।

4. सभी शहरी विकास निकाय के मुखिया एवं ग्राम पंचायतों के प्रधान, सभी नगर पार्षदों एवं पंचायत वार्ड सदस्यों के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्था स्थापित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के बाहर से उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत किया जा सके। यह मुख्य रूप से शहरी विकास निकाय पार्षद / पंचायत वार्ड सदस्य का कर्त्तव्य होगा कि वह शहरी विकास निकाय के मुखिया एवं ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित करे ताकि वह इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित / निर्धारित रजिस्टर / सॉफ्टवेयर में व्यक्ति के विवरण को दर्ज किया जा सके। वह वार्ड में इस तरह के आगमन के अधिकतम 24 घंटे के भीतर संबंधित आशा कार्यकर्ता / स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को तुरंत सूचित करेंगे। पंजीकरण के उद्देश्य से दर्ज की जाने वाली जानकारी का विवरण **अनुबंध क** पर है।

5. हर व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में बाहर से लौटने पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, चौदह दिनों तक घर या

शहरी विकास निकाय / पंचायत स्तर की संगरोध (quarantine) सुविधा में रहना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

6. यदि व्यक्तियों को घर मे ही संगरोध (quarantine) की अनुमति मिलती है, तो ऐसे घर के सामने उचित स्टीकर चिपका दिया जाना चाहिए। इस स्टिकर का प्रारूप **अनुबंध ख** के अनुसार दर्शाया जाएगा।

7. आशा / स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिवार्य रूप से शहरी विकास निकाय के मुखिया / पार्षद / प्रधान / वार्ड सदस्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर ऐसे सभी व्यक्तियों के घर जाएंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे एवं पता लगाएंगे कि क्या इस तरह के घर में ग्रह संगरोध (home quarantine) के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध है। यदि नहीं, तो वह तुरंत संबंधित शहरी विकास निकाय मुखिया / प्रधान ग्राम पंचायत को सूचित करेंगे, जो संबंधित उप मण्डल अधिकारी को सूचित कर ऐसे व्यक्ति को संस्थागत रूप से संगरोध (institutional quarantine) करने के लिए कार्यवाही करेगा।

8. ऐसे व्यक्ति जो घर में संगरोध (home quarantine) कि उलँघना करते है तथा जिन व्यक्तियों के पास घर में संगरोध (home quarantine) कि पर्याप्त सुविधा नहीं है और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों, जिनके घर में पर्याप्त आवास नहीं हैं, उन्हें संस्थागत संगरोध (institutional quarantine) केंद्रों में रखा जाएगा। शहरी विकास निकाय / ग्राम पंचायत के मुखिया, स्थानीय खंड विकास अधिकारी के परामर्श

से, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में संस्थागत संगरोध (quarantine) केंद्रों की पहचान और स्थापना करेंगे और वे पहचान किए गए संगरोध (quarantine) केंद्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ठहरने, भोजन, पानी और साफ-सफाई के आवश्यक प्रावधान करेंगे। संगरोध (quarantine) अवधि के दौरान यदि इस तरह के संगरोध (quarantine) केंद्रों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हे उपयोग में लाया जाए। संगरोध (quarantine) शिविरों (घर में संगरोध (home quarantine) के अलावा) में लोगों के लिए अस्थायी आवास, भोजन, पेयजल, स्वच्छता और चिकित्सा देखभाल आदि के प्रावधान पर खर्च राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund) से किया जाएगा। दो या दो से अधिक पंचायतों में एक संयुक्त सुविधा भी हो सकती है यदि वे ऐसा निर्धारित करते हैं और स्थानीय खंड विकास अधिकारी से इसका अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

9. संबंधित शहरी विकास निकाय के मुखिया, ग्राम पंचायत के प्रधान एवं आशा कार्यकर्ता संघरोध मे रखे गए व्यक्तियों कि सूचना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को देंगे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ COVID 19 कि जांच भी करेंगे तथा अलक्षणी (asymptomatic) व्यक्तियों के नमूने भी परीक्षण हेतु लेंगे।

10. यदि किसी व्यक्ति का COVID-19 परीक्षण पाज़िटिव प्रमाणित होता है, तो उसे तुरंत उपचार के लिए नामित देखभाल सुविधा / अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

11. शहरी विकास निकाय के पार्षद / ग्राम पंचायत सदस्य अपने वार्ड में घर में संगरोध (quarantine) में रखे गए व्यक्तियों पर नजर रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्ति इस संबंध में दिशानिर्देशों की अवज्ञा न करें। इन दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन करता है तो इसे तुरंत संबंधित शहरी विकास निकाय / प्रधान ग्राम पंचायत के प्रमुख के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु लाया जाएगा। ऐसी सूचनाओं की प्राप्ति पर शहरी विकास निकाय के मुखिया / प्रधान ग्राम पंचायत संबंधित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) या खंड विकास अधिकारी को संबंधित अधिनियमों, नियमों और विनियमों के तहत उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए तुरंत सूचित करेंगे।

12. यदि कोई भी व्यक्ति शहरी विकास निकाय के प्रमुखों/ पंचायत के प्रधानों के संगरोध नवाचार (quarantine protocol) और अन्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, महामारी रोग अधिनियम, 1897, COVID-19 विनियम, 2020 और अन्य संबंधित अधिनियम के प्रावधान के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

13. उपरोक्त निर्देशों को सभी निगरानी कर्मियों (Surveillance Personnel) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी विचलन (deviation) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188, 269, 270 और 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा। उपरोक्त के अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष रूप से निगरानी कर्मियों (Surveillance Personnel) द्वारा अनुपालन में कोई विचलन (deviation) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 273 के अंतर्गत अवचार (misconduct) माना जाएगा।

14. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, जिसे संगरोध (quarantine) का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा यदि वह इस संबंध में किसी भी आज्ञा/निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसे स्थानीय उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) / खंड विकास अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही के अतिरिक्त आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत दंडित किया जाएगा।

15. इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति यदि निगरानी कर्मियों (Surveillance Personnel) को उनके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन करने में किसी भी तरह से बाधा पहुंचाता है, उसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 353 के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत दंडित किया जा सकेगा।

किसी भी विलक्षण स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिलाधीश/ जिला दंडाधिकारी इस आदेश के अनुरूप सुसंगत दिशा-निर्देश / अनुदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

**मुख्य सचिव–सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

**अनुबंध – ख**

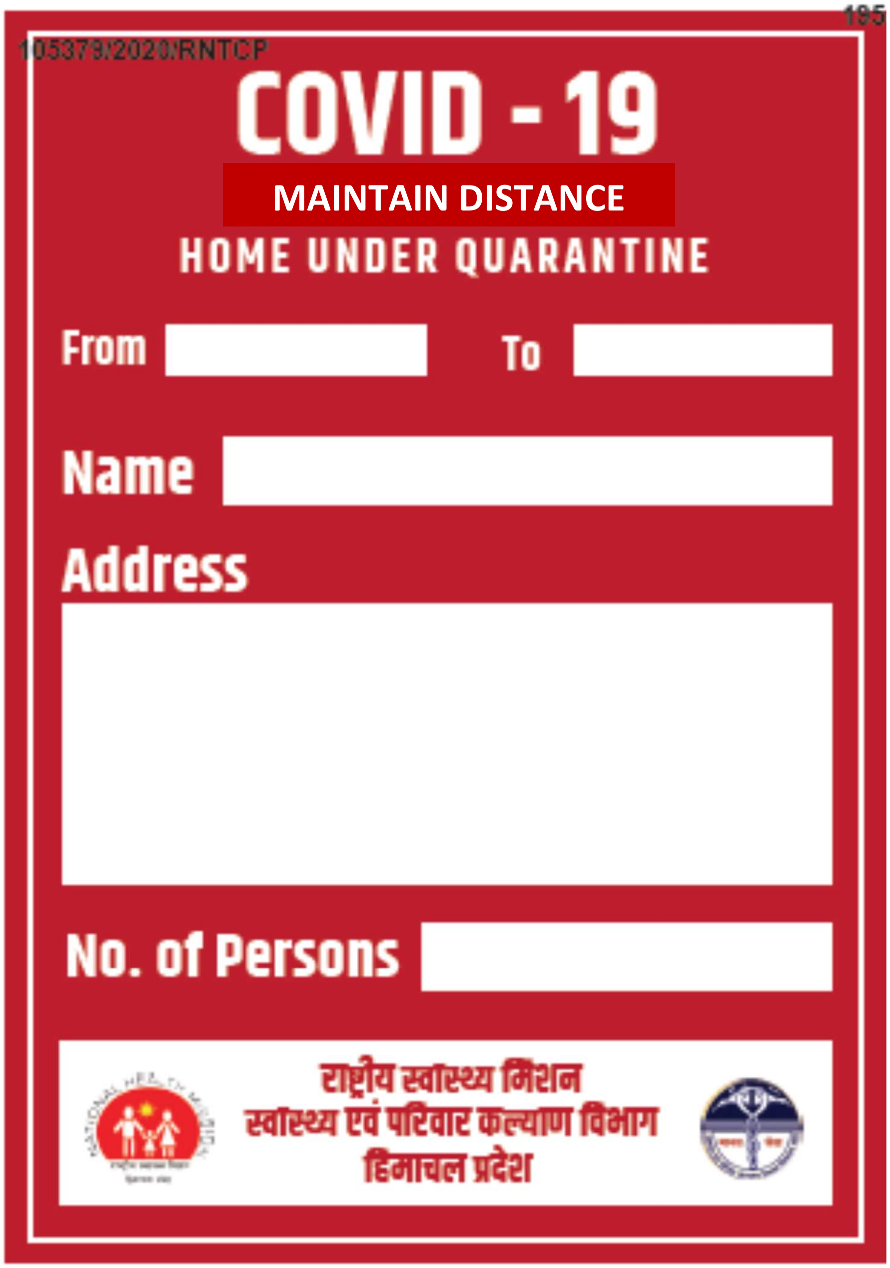
195
105379/2020/RNTCP
COVID - 19
MAINTAIN DISTANCE
HOME UNDER QUARANTINE
From
To
Name
Address
No. of Persons
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश

अनुबंध – क

## आने वाले लोगों / प्रवासियों के विवरण को दर्ज करने के लिए प्रारूप

| नाम | पुत्र / पुत्री / पत्नी | उम्र | लिंग (पुरुष/स्त्री /अन्य) | जिला | पता (ग्राम/ वार्ड / शहर) | मोबाईल न० | आगमन की तारीख | आधार न० | अरोग्या सेतु ऐप डाउनलोड किया गया? (हाँ/न) | जिस राज्य से आ रहा है | जिस जिले से आ रहा है | हिमाचल में रुकने कि अवधि दिनों में | गाड़ी न० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

**अनुबंध – ख**

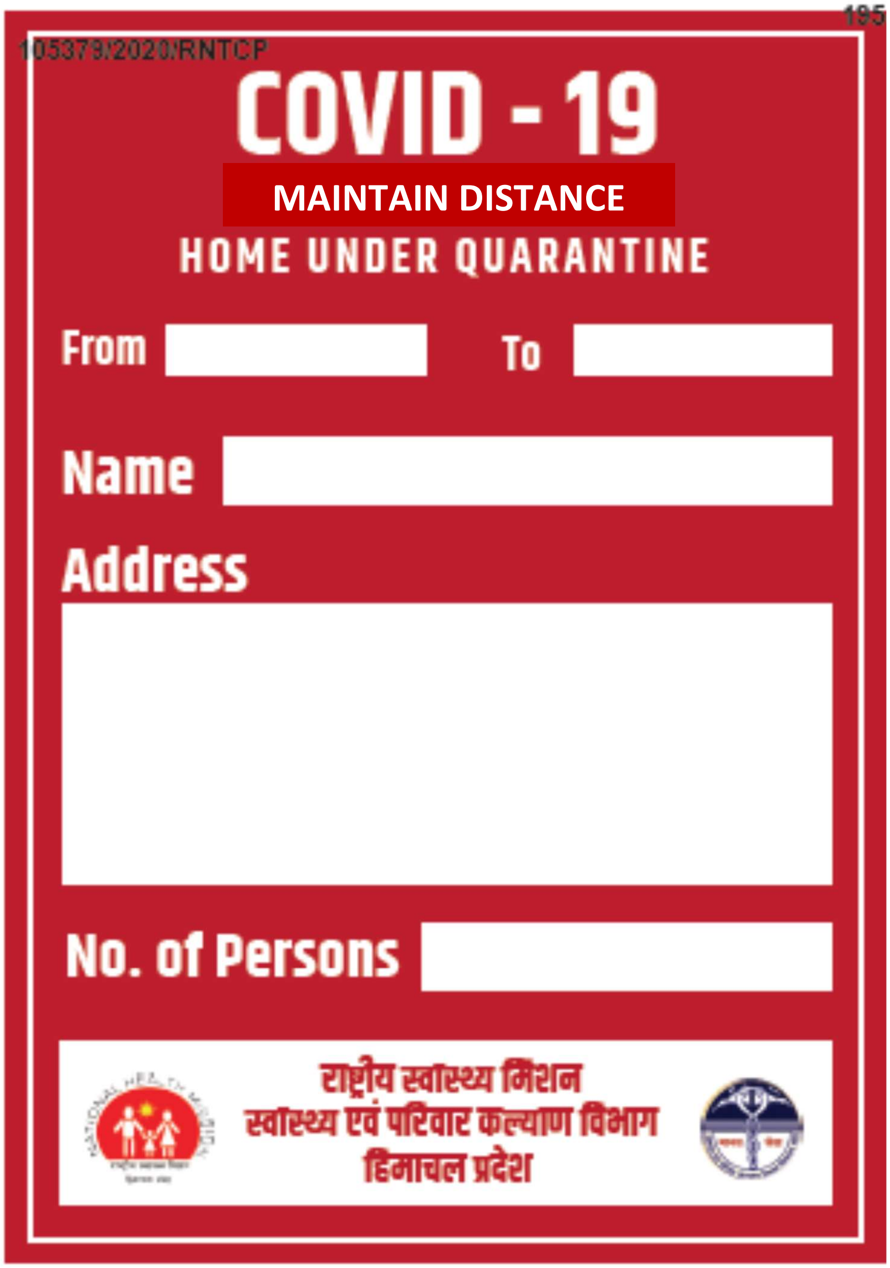
195
105379/2020/RNTCP
COVID - 19
MAINTAIN DISTANCE
HOME UNDER QUARANTINE
From
To
Name
Address
No. of Persons
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश